



2026:AHC-LKO:15856-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 175/2026

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, वन विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 6 अन्य

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राम प्रकाश वर्मा

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : हनुमंत लाल यादव

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन सं. 1/2026 पर आदेश; विलंब क्षमादान हेतु आवेदन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा आज दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद सिंह तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को सुना गया।
3. यह अपील दाखिल करने में हुए दस दिनों के विलंब को क्षमा करने हेतु एक आवेदन है, जिसके साथ एक शपथ-पत्र भी संलग्न है।
4. हमने विलंब क्षमादान के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र को देखा है। शपथपत्र में बताया गया कारण और स्पष्टीकरण पर्याप्त और संतोषजनक है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि प्रतिवादी के अधिवक्ता को विलंब क्षमादान के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, विलंब क्षमादान का आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है और अपील की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

(अपील ज्ञापन पर आदेश)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद सिंह तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को सुना गया।

2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत, रिट न्यायालय द्वारा रिट ए सं. 10264/2016 (राम प्रकाश वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 08.01.2026 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध एक अपील है।

3. इसी तरह के आदेशों के विरुद्ध इसी तरह की अपीलें दिनांक 03.09.2024 को पहले ही खारिज की जा चुकी हैं, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि अस्वीकृति के आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के कर्तव्य नियमित श्रेणी-IV कर्मचारियों के कर्तव्यों से भिन्न हैं; यद्यपि, इस अपील में, राज्य के अधिवक्ता ने पृष्ठ सं. 206 और उसके बाद संलग्न कुछ दस्तावेजों पर भरोसा करने का प्रयास किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दस्तावेज रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रति-शपथपत्र के साथ दाखिल किए गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे दाखिल नहीं किए गए थे। हम इस बात को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते कि अपील में पहली बार ऐसे दस्तावेज दाखिल किए जाएं, जिन्हें रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया था और वह भी बिना किसी खुलासे के कि अपील के अभिलेख में उपस्थित कुछ दस्तावेज रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किए गए थे। ऐसे दस्तावेज केवल न्यायालय की

अनुमति लेने के बाद ही दाखिल किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए, हम इस अपील पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं; यद्यपि, यह अपीलकर्ताओं के उन अधिकारों, यदि कोई हों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिनके अंतर्गत वे अनुमेय आधारों पर इस निर्णय की पुनर्विलोकन की मांग कर सकते हैं।

4. उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, अपील खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

24 फरवरी 2026

पीयूष/-